



रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ, उत्तर मध्य रेलवे

बाल्मिकी चौराहा, नवाब युसुफ, इलाहाबाद

खेलकूद कोटा (खुली भर्ती) के अंतर्गत भर्ती

रोजगार सूचना सं. SQ 2017-18

जारी करने की तिथि: 09.12.2017

अंतिम तिथि: 31.12.2017 23:59 बजे तक

1. उत्तर मध्य रेलवे के प्रधान कार्यालय में खेलकूद कोटा वर्ष 2017-18 में खुली भर्ती के अंतर्गत पे. बैंड -I ₹5200 - 20200 + ग्रेड पे ₹1900/2000 और 2400/2800 (7वे सी.पी.सी. के बाद संशोधित वेतनमान पे मैट्रिक्स लेबल - 02/03 और 04/05) में भर्ती के लिए नीचे पैरा 02 एवं 04 में विनिर्दिष्ट न्यूनतम खेलकूद और शैक्षणिक मानक पूरा करने वाले उत्कृष्ट खिलाड़ियों से नीचे दर्शाये खेलों हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

खेलों के निम्नलिखित क्षेत्र में भर्ती की जानी है:-

A. पे. बैंड -I ₹5200 - 20200 + ग्रेड पे ₹2000/1900, 7वे सी.पी.सी. के बाद संशोधित वेतनमान पे मैट्रिक्स लेबल -02/03

क्रम संख्या	खेल का नाम	पुरुष/महिला	कोटि सं.	खेलने का विशिष्ट स्थान/भार वर्ग जिसकी आवश्यकता है	रिक्तियां
1	एथलेटिक्स	पुरुष	1	3000 मीटर स्टीपलचेज	01
			2	पोल वॉल्ट	01
		महिला	3	1500 मीटर	01
			4	5000 मीटर	01
2	बैडमिन्टन	महिला	5	खिलाड़ी	02
3	मुक्केबाज	पुरुष	6	60 कि.ग्रा.	01
4	क्रिकेट	पुरुष	7	मध्यमगति तेज गेदबाज	01
		महिला	8	मध्यमगति तेज गेदबाज	01
5	जिमनास्टिक	पुरुष	9	खिलाड़ी	02
6	हॉकी	पुरुष	10	फारवर्ड	02
		महिला	11	फारवर्ड	02
7	कुश्ती	पुरुष	12	65 कि.ग्रा. फ्रीस्टाइल	01
कुल योग					16

B. पे. बैंड -I ₹5200 - 20200 + ग्रेड पे ₹2400/2800, 7वे सी.पी.सी. के बाद संशोधित वेतनमान पे मैट्रिक्स लेबल - 04/05

क्रम संख्या	खेल का नाम	पुरुष/महिला	कोटि सं.	खेलने का विशिष्ट स्थान/भार वर्ग जिसकी आवश्यकता है	रिक्तियां
1	क्रिकेट	पुरुष	13	बल्लेबाज	02
		महिला	14	बल्लेबाज	01
2	कुश्ती	पुरुष	15	48 कि.ग्रा.	01
		महिला	16	63 कि.ग्रा.	01
कुल योग					05

नोट: अभ्यर्थी अपना आवेदन <http://www.rrcald.org> पर ऑन लाइन के माध्यम से करें। एक से अधिक कोटियों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी आवेदन भरते समय सम्बन्धित कोटियों को भरें/टिक करें। प्रत्येक कोटि के लिए अलग-अलग परीक्षा शुल्क देना होगा।

2. भर्ती के लिए खेलकूद मानक:-

A. टीम और व्यक्तिगत स्पर्धाओं के लिए पे. बैंड -I ₹ 5200 - 20200 + ग्रेड पे ₹2000/1900, 7वे सी.पी.सी. के बाद संशोधित वेतनमान पे मैट्रिक्स लेबल - 02/03 में खुले विज्ञापन के माध्यम से खेलकूद कोटा के तहत खिलाड़ियों की भर्ती के न्यूनतम खेलकूद मानक निम्नवत् है:-

- नीचे पैरा 2.1 कोटि-ब में दिये गये वर्गीकरण के अनुसार- किसी भी स्पर्धा/प्रतियोगिता में देश का प्रतिनिधित्व किया हो अथवा
- नीचे पैरा 2.1 कोटि-स में दिये गए वर्गीकरण के अनुसार किसी भी प्रतियोगिता/स्पर्धा में कम-से-कम तीसरा स्थान हासिल किया हो अथवा
- सीनियर/यूथ/जूनियर वर्ग की राष्ट्रीय प्रतियोगिता में कम-से-कम तीसरा स्थान हासिल किया हो अथवा
- भारतीय ओलम्पिक संघ के तत्वावधान में आयोजित राष्ट्रीय खेलों में कम-से-कम तीसरा स्थान हासिल किया हो अथवा
- भारतीय विश्वविद्यालय संघ के तत्वावधान में आयोजित अखिल भारतीय अर्न्त विश्वविद्यालयी प्रतियोगिता में कम-से-कम तीसरा स्थान हासिल किया हो अथवा
- फेडरेशन कप प्रतियोगिता (सीनियर वर्ग) में पहला स्थान हासिल किया हो।

B. टीम और व्यक्तिगत स्पर्धाओं के लिए पे. बैंड -I ₹ 5200 - 20200 + ग्रेड पे ₹2400/2800, 7वे सी.पी.सी. के बाद संशोधित वेतनमान पे मैट्रिक्स लेबल - 04/05 में खुले विज्ञापन के माध्यम से खेलकूद कोटा के तहत खिलाड़ियों की भर्ती के न्यूनतम खेलकूद मानक निम्नवत् है:-

- ओलम्पिक खेलों में देश का प्रतिनिधित्व किया हो (कोटि-अ) अथवा
- नीचे पैरा 2.1 कोटि- ब में दिये गए वर्गीकरण के अनुसार किसी भी प्रतियोगिता/स्पर्धा में कम-से-कम तीसरा स्थान हासिल किया हो

2.1 अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं का कोटि निर्धारण :-

कोटि- अ	कोटि- ब	कोटि- स
ओलम्पिक खेल (सीनियर वर्ग)	विश्व कप (जूनियर/सीनियर वर्ग)	राष्ट्रमण्डल खेल (सीनियर वर्ग)
विश्व चैम्पियनशिप (जूनियर/सीनियर वर्ग)	एशियाई खेल (सीनियर वर्ग)	राष्ट्रमण्डल खेल (सीनियर वर्ग)
राष्ट्रमण्डल खेल (सीनियर वर्ग)	राष्ट्रमण्डल चैम्पियनशिप (जूनियर/सीनियर वर्ग)	एशियाई चैम्पियनशिप/एशिया कप (जूनियर/सीनियर वर्ग)
राष्ट्रमण्डल चैम्पियनशिप (जूनियर/सीनियर वर्ग)	एशियाई चैम्पियनशिप/एशिया कप (जूनियर/सीनियर वर्ग)	दक्षिण एशियाई फेडरेशन (सैफ) खेल (सीनियर वर्ग) यू.एस.आई.सी. (विश्व रेलवे)
राष्ट्रमण्डल चैम्पियनशिप (सीनियर वर्ग)	दक्षिण एशियाई फेडरेशन (सैफ) खेल (सीनियर वर्ग) यू.एस.आई.सी. (विश्व रेलवे)	चैम्पियनशिप (सीनियर वर्ग)

2.2 एथलेटिक्स: एथलेटिक्स में नेशनल इंटर स्टेट सीनियर एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में पदक प्राप्त करने वाले को भी भर्ती के लिए विचार किया जायेगा।

2.3 बैडमिन्टन: बैडमिन्टन में खिलाड़ियों पर निम्नलिखित मानदंड के अनुसार उनकी मौजूदा वार्षिक ऑल इंडिया रैंकिंग के आधार पर भी भर्ती के लिए विचार किया जायेगा।

क्र.सं.	भर्ती के लिए न्यूनतम खेलकूद मानदंड		
	आयु कोटि	इवेंट	मौजूदा वार्षिक ऑल इंडिया रैंकिंग
1	सीनियर्स	सिंगल्स	बारहवें स्थान तक
		डबल्स	चौथे स्थान तक
2	यूथ	सिंगल्स	छठे स्थान तक
		सिंगल्स	छठे स्थान तक
3	जूनियर्स	सिंगल्स	छठे स्थान तक

इस प्रयोजन के लिए केवल मौजूदा वार्षिक ऑल इंडिया रैंकिंग के बारे में विचार किया जायेगा। मिक्सड-डबल्स में रैंकिंग के बारे में विचार नहीं किया जायेगा।

2.4 क्रिकेट (पुरुष/महिला):

2.4.1 अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट (पुरुष एवं महिला) में टेस्ट मैच में इंडियन सीनियर्स टीम अथवा सीमित ओवर के वन डे इंटरनेशनल मैच अथवा ट्वन्टी-20 ओवर्स मैच में प्रतिनिधित्व किया हो तो; पै बैंड रु 5,200-20,200 में ग्रेड पे रु 1,900 अथवा रु 2,000 वाले पदों पर भर्ती के लिए भी विचार किया जायेगा।

2.4.2 नेशनल स्तर पर क्रिकेट में, बीसीसीआई के तत्वावधान में आयोजित 4 दिन/एक दिन के सीमित ओवर/ट्वन्टी-20 ओवर पुरुष/महिला चैम्पियनशिपों (विजी ट्राफी को छोड़कर) में निम्नलिखित खेलकूद उपलब्धियां होने पर पे बैंड 5,200-20,200 में ग्रेड पे रु. 1,900/2000 वाले पदों पर भर्ती के लिए भी विचार किया जायेगा।

क्र. सं.	चैम्पियनशिपों का ब्यौरा	कोटि	ग्रेड पे रु. 1900/2000 में भर्ती के लिए न्यूनतम खेलकूद उपलब्धियां
01	ऑल इंडिया इंटर स्टेट इलीट एण्ड प्लेट ग्रुप चैम्पियनशिप	सीनियर/यूथ (अन्डर-22)/जूनियर(अन्डर-19)	इलीट ग्रुप चैम्पियनशिपों का सेमी फाइनलिस्ट
02	ऑल इंडिया इंटर स्टेट चैम्पियनशिप	सीनियर/जूनियर (अन्डर-19)	ऑल इंडिया नॉक-आउट स्टेज का सेमी-फाइनलिस्ट
03	ऑल इंडिया इंटर जोनल चैम्पियनशिप	सीनियर/जूनियर (अन्डर-19)	फाइनलिस्ट

2.5 हॉकी (पुरुष/महिला): हॉकी में भर्ती के लिए चार अथवा अधिक राष्ट्रों के अन्तर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों में कम-से-कम दूसरा स्थान प्राप्त करने वाले के बारे में भी विचार किया जायेगा।

टिप्पणी:-

- खुले विज्ञापन कोटा के अन्तर्गत सभी भर्ती, वेतनमान के न्यूनतम पर होगी।
- उपरोक्त सभी चैम्पियनशिप मान्यता प्राप्त अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय/राज्य खेलकूद फेडरेशनों के तत्वावधान में आयोजित किए गए हों तथा इन्हें रेलवे खेलकूद संवर्धन बोर्ड द्वारा भी मान्यता दी गई होनी चाहिए।
- जूनियर राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में खेलकूद उपलब्धियों के आधार पर खिलाड़ियों की भर्ती के लिए निम्नलिखित आयु सीमा के खिलाड़ियों पर ही विचार किया जाएगा।

क्र. सं.	खेल का नाम	कोटि	मान्यता प्राप्त जूनियर राष्ट्रीय चैम्पियनशिप का विवरण	
			एज ग्रुप	चैम्पियनशिप का नाम
01	एथलेटिक्स	पुरुष/महिला	अन्डर-20	जूनियर राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैम्पियनशिप
02	बैडमिन्टन	पुरुष/महिला	अन्डर-19	जूनियर राष्ट्रीय बैडमिन्टन चैम्पियनशिप
03	मुक्केबाजी	पुरुष/महिला	17-18	जूनियर राष्ट्रीय बॉक्सिंग चैम्पियनशिप
04	क्रिकेट	पुरुष	अन्डर-22	कर्नल सी.के.नायडू (अन्तर्राष्ट्रीय चैम्पियनशिप)
			अन्डर-19	1. कूच बेहर ट्राफी (अन्तर्राष्ट्रीय चैम्पियनशिप) 2. वीनू मांकड़ ट्राफी (एक दिवसीय सीमित ओवर अन्तर्राष्ट्रीय चैम्पियनशिप) 3. विजय हजारे ट्राफी (एक दिवसीय सीमित ओवर अखिल भारतीय अंतर्जोनल चैम्पियनशिप)
		महिला	अन्डर-19	1. अखिल भारतीय अन्तर्राष्ट्र्य नॉक आउट/अन्तर्राष्ट्र्य जोनल चैम्पियनशिप 2. अखिल भारतीय अन्तर् जोनल टूर्नामेंट ट्राफी (एक दिवसीय सीमित ओवर)
05	जिमनास्टिक	पुरुष	अन्डर-17	जूनियर राष्ट्रीय जिमनास्टिक चैम्पियनशिप
06	हॉकी	पुरुष	अन्डर-21	जूनियर (अन्डर 21) राष्ट्रीय हॉकी चैम्पियनशिप
		महिला	अन्डर-19	जूनियर राष्ट्रीय हॉकी चैम्पियनशिप
07	कुश्ती	पुरुष/महिला	अन्डर-20	जूनियर राष्ट्रीय कुश्ती चैम्पियनशिप

3. विचारार्थ खेलकूद उपलब्धियों की अवधि:- अभ्यर्थी की पात्रता की दृष्टि से वर्तमान और पिछले दो वित्त वर्षों की खेलकूद उपलब्धियों पर ही विचार किया जाएगा। अतः 01.04.2015 या उसके बाद की खेलकूद उपलब्धियां ही मान्य होंगी।

4. न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता:

a) पे. बैंड -I ₹ 5200 - 20200 + ग्रेड पे ₹ 2000/1900, (7वे सी.पी.सी. पे मैट्रिक्स लेबल - 02/03): उम्मीदवारों को मान्यता प्राप्त बोर्ड द्वारा न्यूनतम इण्टरमीडिएट या समकक्ष की शैक्षिक योग्यता रखनी होगी।

➤ टेक्नीकल पदों हेतु अभ्यर्थियों को एक्ट अप्रेंटिस/आई टी आई पास होना अनिवार्य है। एक्ट अप्रेंटिस/आई टी आई के सर्टिफिकेट एस.सी.वी.टी./एनसीवीटी द्वारा मान्यता प्राप्त होने चाहिए।

b) पे. बैंड -I ₹ 5200 - 20200 + ग्रेड पे ₹ 2400/2800, (7वे सी.पी.सी. पे मैट्रिक्स लेबल - 04/05): उम्मीदवारों को मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा न्यूनतम डिग्री या समकक्ष की शैक्षिक योग्यता रखनी होगी।

5. आयु: आयु सीमा: 01.01.2018 को 18 वर्ष से 25 वर्ष। आयु सीमा में कोई छूट नहीं दी जायेगी।

6. भर्ती प्रक्रिया:- भर्ती ट्रायल एवं खेलकूद उपलब्धियों के मूल्यांकन के आधार पर की जाएगी। ट्रायल में उपयुक्त पाए जाने वाले अभ्यर्थी ही दूसरे चरण के लिए पात्र होंगे। नियुक्ति से संबंधित प्रक्रिया मुख्यालय द्वारा पूर्ण की जायेगी। अभ्यर्थी के आवेदन पत्र या उसकी अभ्यर्थिता को गलत पाए जाने पर किसी भी चरण में अस्वीकृत किया जा सकता है और इसके किसी भी कारण की सूचना देने के लिए रेलवे बाध्य नहीं होगी।

7. भर्ती हेतु शर्तें :-

क) किसी भी पद हेतु आवेदन करने के पहले अभ्यर्थी को सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वह उपरोक्त पैरा 2, 3, 4, एवं 5 में दिये गये मानकों को पूरा करता/करती है।

ख) खेलकूद प्रमाण-पत्रों में अंकित अभ्यर्थी का नाम और पिता का नाम वही हो जो उसके स्कूल/कालेज के प्रमाण-पत्रों में दर्ज है। इस मामले में कोई भी भिन्नता नहीं होनी चाहिए।

ग) किसी विशेष प्रतियोगिता/स्पर्धा में हासिल विशिष्ट स्थान, खेलने की पोजिशन/भार वर्ग (5000 मीटर/3000 मीटर स्टेपल चेज/फॉरवर्ड/48 किग्रा/63 किग्रा/65 किग्रा आदि), यदि लागू हो, का भी आवेदन में अनिवार्य रूप से उल्लेख करें।

घ) जिन पदों के लिए प्रारंभिक प्रशिक्षण अपेक्षित है उन पदों पर नियुक्ति के पूर्व उम्मीदवारों को प्रशिक्षण में सफलता प्राप्त करनी होगी।

ङ.) अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को देय छूट हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र (केन्द्रीय सरकार के अधीन नियुक्ति हेतु) अपलोड करना होगा।

च) चयनित अभ्यर्थियों को प्रशासनिक सुविधानुसार/आवश्यकतानुसार कहीं भी एवं किसी भी पद पर पदस्थापित किया जा सकता है।

छ) अभ्यर्थी को आवेदन की अंतिम तिथि के पश्चात् अल्प अवधि की सूचना पर परीक्षण के लिए तैयार रहना होगा।

ज) चयनित उम्मीदवार की यदि लिपिक कम टाइपिस्ट वर्ग में नियुक्ति की जाती है तो उसे 04 वर्ष के अन्दर टाइपराइटर पर हिन्दी में 25 शब्द प्रति मिनट अथवा अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट या कम्प्यूटर पर अंग्रेजी में 40 शब्द प्रति मिनट अथवा हिन्दी में 35 शब्द प्रति मिनट टाइपिंग परीक्षा पास करनी होगी। यदि 04 वर्ष के अन्दर टंकक परीक्षा पास नहीं कर पाते हैं तो उसकी नियुक्ति जबतक टंकक परीक्षा पास नहीं कर लेता तबतक प्रोविजनल मानी जायेगी और उन्हें कोई प्रमोशन/इंग्रिमेंट नहीं दिया जायेगा।

झ) नियुक्ति के लिए चयनित उम्मीदवार को रेलवे प्रशासन द्वारा ली जाने वाली अपेक्षित चिकित्सा उपयुक्तता परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।

ञ) भर्ती के लिए किसी भी प्रकार के सिफारिश करने/कराने वाले अभ्यर्थियों को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।

8. सेवारत उम्मीदवार :- सेवारत रेलवे कर्मचारियों और रेलवे संगठन के अर्ध शासकीय कार्यालयों जैसे रेलवे कैंटीन, सहकारी समितियों और संस्थानों में कार्यरत कर्मचारी/उम्मीदवारों को, अपने कार्यालय द्वारा जारी अनापत्ती प्रमाण-पत्र (NOC) अपलोड करना होगा।

9. परीक्षा शुल्क :-

9.1 नीचे पैरा 9.2 में दर्शाये गये उम्मीदवारों को छोड़ कर सभी उम्मीदवारों को ₹500/- (रु पाँच सौ केवल) परीक्षा शुल्क देना होगा।

9.2 अ.जा./अ.ज.जा./भूतपूर्व सैनिक/विकलांग/महिला/अल्पसंख्यक/आर्थिक पिछड़ा वर्ग को ₹250/- (रु दो सौ पचास केवल) परीक्षा शुल्क देना होगा। परीक्षण (Trial) परीक्षा में उपस्थित उम्मीदवारों को परीक्षा शुल्क लौटाने का प्रावधान होगा।

9.3 आर्थिक रूप से पिछड़े उम्मीदवार वह है जिनकी वार्षिक आय रु 50000.00 से कम है। ऐसे उम्मीदवारों को आय प्रमाण पत्र परीक्षित-ग' में अपलोड करना होगा।

9.4 परीक्षा शुल्क किसी भी दशा में लौटायी नहीं जायेगी। (पैरा 9.2 में दर्शाये गये उम्मीदवारों को छोड़ कर) परीक्षा शुल्क केवल ऑनलाइन माध्यम से जैसे इन्टरनेट बैंकिंग/डेबिट/क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ही जमा होगा, जिसका प्रोसेसिंग चार्ज भी अभ्यर्थी को वहन करना होगा। जिन्होंने परीक्षा शुल्क जमा न किया हो, उनका आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।

10. आवेदन कैसे करें:-

10.1 अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र वेबसाइट <http://www.rrcald.org> पर भरे। ऑनलाइन आवेदन भरने के पहले दिये गये निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें। उम्मीदवार यह सुनिश्चित कर लें कि उसके द्वारा भरी गयी सारी सूचना सत्य है।

10.2 उम्मीदवार आवेदन पत्र में माँगी गयी सूचना, बायोडाटा एवं परीक्षा शुल्क आदि से सम्बन्धित सभी जानकारी ऑनलाइन के माध्यम से ध्यान से भरें।

नोट 1:- उम्मीदवार अपने नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि आदि सूचना अपने दिये गये मैट्रिक स्तर के अभिलेख के अनुसार सही-सही भरें। दस्तावेज सत्यापन के समय भिन्नता पाये जाने पर उसकी उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी। यदि किसी अभ्यर्थी ने अपना नाम बदला हो तो उसे दस्तावेज सत्यापन के समय गजेट नोटिफिकेशन या न्यायिक प्रपत्र इत्यादि प्रस्तुत करना होगा। ऐसे अभ्यर्थी अपना बदला हुआ नाम अंकित करेंगे तथा अन्य जानकारी में मैट्रिक स्तर के अभिलेख के अनुसार

नोट 2:—अभ्यर्थी अपना ई-मेल एवं मोबाइल नम्बर ऑनलाइन आवेदन भरते समय अंकित करे तथा इसे भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होने तक चालू रखें। उम्मीदवारों को महत्वपूर्ण सूचना ई-मेल एवं मोबाइल नम्बर के माध्यम से समय-समय पर भेजी जाती रहेगी और माना जायेगा कि अभ्यर्थियों ने इसे पढ़ लिया है।

10.3 परीक्षा शुल्क रु. 500/- (पैरा 9.2 में दर्शाये गये उम्मीदवारों को परीक्षा शुल्क रु. 250/-) (प्रोसेसिंग चार्ज अलग से) ऑनलाइन माध्यम से इन्टरनेट बैंकिंग/ डेबिट/ क्रेडिट कार्ड के माध्यम से जमा करे। परीक्षा शुल्क जमा करने के उपरांत ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय समस्त आवश्यक जानकारियाँ संबंधित कॉलम में सही-सही भरना होगा।

10.4 ऑनलाइन आवेदन भरते समय अपना हाल का बना हुआ रंगीन फोटो साइज 3.5 cm x 3.5 cm (श्याम/श्वेत फोटो मान्य नहीं होगा) JPEG फारमेट में 20 kb से 30 kb का स्कैन करके अपलोड करें।

10.5 ऑनलाइन आवेदन भरते समय अपना हस्ताक्षर (अंग्रेजी तथा हिन्दी) JPEG फारमेट में 10 kb से 15 kb का स्कैन करके अपलोड करें।

नोट:—रंगीन फोटोग्राफ साइज 3.5 cm x 3.5 cm (इस सूचना के जारी होने से तीन माह से ज्यादा पुराना न हो) JPEG फारमेट में 20 kb से 30 kb बिना काला/धूप का चश्मा/कैप के अपलोड होना चाहिए। ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने अस्पष्ट फोटो, पुरानी फोटो, अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में किया हुआ हस्ताक्षर या आवेदन पत्र में अपलोड किया हुए फोटो एवं उम्मीदवार में भिन्नता पाये जाने पर उसकी उम्मीदवारी किसी भी समय निरस्त कर दी जायेगी। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि अपने प्रवेश पत्र के साथ एक पहचान पत्र एवं दो फोटोग्राफ, जो आवेदन पत्र के साथ अपलोड किया हो, परीक्षा के समय साथ में लायें।

10.6 आनलाइन फॉर्म भरने के उपरान्त प्रत्येक अभ्यर्थी को एक रजिस्ट्रेशन नम्बर दिया जायेगा। कृपया उसे सम्भाल कर रखें इसी के माध्यम से आगे कोई भी सूचना का अदान प्रदान आर0 आर0 सी0, इलाहाबाद के द्वारा किया जायेगा।

नोट 1:—ऐसे आनलाइन आवेदन पत्र जिसमें आवश्यक कॉलम नहीं भरा गया हो, अपूर्ण हो, हस्ताक्षर न किया हो अथवा अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में हस्ताक्षर किया गया हो, फोटो न अपलोड हो, परीक्षा शुल्क न जमा हो, उन आवेदन पत्रों को निरस्त कर दिया जायेगा।

नोट 2:—यदि उम्मीदवार का आवेदन पत्र किसी कारणवश निरस्त कर दिया गया हो तो निरस्तता का कारण रेल भर्ती प्रकोष्ठ के वेबसाइट पर देखा जा सकता है। निरस्तता की सूचना अभ्यर्थी को डाक द्वारा नहीं दी जायेगी। ऑनलाइन आवेदन में अंकित रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर तथा ई-मेल पर एस0एम0एस0 एवं ई-मेल एलर्ट भेजा जायेगा।

नोट 3:—उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि बिना अन्तिम दिन का इन्तजार किये आवेदन पत्र सही समय पर भर दें क्योंकि अन्तिम समय में वेबसाइट पर अधिक लोड पड़ने अथवा इन्टरनेट बन्द अथवा तकनीकी खराबी आने पर आवेदन पत्र भरने में कठिनाई आ सकती है।

नोट 4:—यदि किसी कारणवश अभ्यर्थी अपना आवेदन पत्र अन्तिम समय से पहले नहीं भर पाया तो इसकी जिम्मेदारी रेल भर्ती प्रकोष्ठ की नहीं होगी।

11. आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्रों को अपलोड करना होगा—

a) शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण—पत्र की प्रति।
b) जन्म तिथि के प्रमाण में प्रमाण—पत्र की प्रति।
c) सम्बन्धित फेडरेशन/एसोसिएशन/बोर्ड द्वारा जारी खेल—कूद योग्यताओं/उपलब्धियों से संबंधित प्रमाण—पत्र की प्रति।
d) अनुसूचित जाति/जनजाति के उम्मीदवारों को देय छूट तथा शारीरिक परीक्षण/दस्तावेज सत्यापन के लिए नि:शुल्क यात्रा सुविधा (द्वितीय श्रेणी का रेलवे पास) हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र **परिशिष्ट 'क'** के अनुसार अपलोड करना होगा। रिजर्वेशन प्राप्त करते समय अथवा यात्रा करते समय रिजर्वेशन क्लर्क तथा टिकट चेकिंग स्टाफ को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का मूल प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए प्रस्तुत करना होगा।

नोट:— उम्मीदवार को किसी भी प्रकार की प्रिंट आउट, जाति प्रमाण पत्र तथा अन्य की छायाप्रति रेल भर्ती प्रकोष्ठ को भेजने की जरूरत नहीं है।

12. अस्वीकृत आवेदन पत्र:—कृपया अभ्यर्थी सभी सूचनाओं को पढ़ कर ही अपना ऑनलाइन आवेदन भरें। अन्यथा अभ्यर्थी का आवेदन पत्र निम्नलिखित किन्हीं एक या अधिक कारणों से निरस्त कर दिया जायेगा। :- यदि उम्मीदवार का आवेदन पत्र किसी कारणवश निरस्त कर दिया गया हो तो निरस्तता का कारण आर0आर0सी0 के वेबसाइट पर देखा जा सकता है। निरस्तता की सूचना अभ्यर्थी को डाक द्वारा नहीं दी जायेगी। ऑनलाइन आवेदन में अंकित रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर तथा ई-मेल पर एस0एम0एस0 एवं ई-मेल एलर्ट भेजा जायेगा।

12.1 आवेदन पत्र हस्ताक्षर न करना अथवा अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में करना।
12.2 आवेदन बिना कलर फोटो का होना, कैप के साथ फोटो/धूप का चश्मा लगा फोटो/अस्पष्ट/स्कैन किया हुआ/छायाप्रति का फोटो होना।
12.3 आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि पर निर्धारित शैक्षणिक/खेलकूद योग्यता न रखने वाले उम्मीदवार।
12.4 अधिक आयु या अल्प आयु वाले उम्मीदवार, आवेदन में जन्मतिथि का न भरा होना या गलत भरा होना।
12.5 उम्मीदवार का नाम निशेधित (डीबार्ड) सूची में होना।
12.6 बिना निर्धारित परीक्षा शुल्क वाले आवेदन।
12.7 अन्य अनियमितताएँ पाये जाने पर।

13. प्रवेशन अवधि:— खेल—कूद कोटा के माध्यम से नियुक्ति पाने वाले सभी उम्मीदवारों की प्रवेशन अवधि दो वर्ष की होगी।

14. सर्विस बाण्ड:— खेल—कूद कोटा के अन्तर्गत भर्ती किये गये व्यक्तियों के लिए "सर्विस बाण्ड" की अवधि पाँच वर्ष की होगी।

15. विधिक मामले: इस रोजगार सूचना से संबंधित किसी भी विधिक मामले का निस्तारण केवल इलाहाबाद के विधिक क्षेत्राधिकार में ही किया जायेगा।

महत्वपूर्ण सूचनाएं

1.0 आवेदन से पूर्व योग्यता जांच लें— आवेदन करने से पहले उम्मीदवार यह सुनिश्चित कर ले कि वह न्यूनतम पात्रता मापदण्ड पूरा करता है। लिखित परीक्षा के लिए अभ्यर्थी को बुलावा उसके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में दी गयी सूचनाओं के आधार पर ही होगा। यदि अभ्यर्थी कोई भी गलत या अधूरी सूचना किसी प्रकार की अनियमितता, कमी, त्रुटि पर एवं अपूर्ण सूचना या इस नोटिफिकेशन में वर्णित किसी भी शर्त को पूरा नहीं करता तो रेल प्रशासन भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में/भर्ती के बाद भी उसकी उम्मीदवारी निरस्त करने का पूर्ण अधिकार रखता है।

2.0 परीक्षा शुल्क—
क) नीचे पैरा ख) में दर्शाये गये उम्मीदवारों को छोड़ कर सभी उम्मीदवारों को रु0 500/- परीक्षा शुल्क देना होगा।
ख) अ0जा0/अ0ज0जा0/भूतपूर्व सैनिक/विकलांग/महिला/अल्पसंख्यक/आर्थिक पिछड़ा वर्ग को परीक्षा शुल्क रु 250/- देना होगा।

3.0 आवेदन कैसे करें— पद के लिए अभ्यर्थी रेल भर्ती प्रकोष्ठ, इलाहाबाद की वेबसाइट <http://www.rrcald.org> पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन के लिए पूर्ण दिशा निर्देश रेल भर्ती प्रकोष्ठ, इलाहाबाद की वेबसाइट पर दिये गये हैं। ऑनलाइन आवेदन करने का निर्देश उपर पैरा 10, 11 एवं 12 में वर्णित हैं।

4.0 आवेदन:— दिनांक 31.12.2017 को 23.59 बजे तक पूर्ण रूप से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवार को किसी भी प्रकार की आवेदन की छायाप्रति रेल भर्ती प्रकोष्ठ को भेजने की जरूरत नहीं है।

अभ्यर्थी केवल ऑनलाइन के माध्यम से ही आवेदन करें। किसी और माध्यम से आवेदन मान्य नहीं होगा।

ऑनलाइन आवेदन करने का निर्देश

- जिस अभ्यर्थी को आवेदन करना हो, वह आर0आर0सी0 की वेबसाइट पर जायें।
- "ONLINE FORM" लिंक पर क्लिक करें।
- "NEW REGISTRATION" लिंक पर क्लिक करें।
- अभ्यर्थी अपना नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, ई-मेल पता तथा मोबाइल नम्बर दर्ज करें।
- रेजिस्ट्रेशन नम्बर तथा पासवर्ड प्राप्त करने के लिए दिये गये दिशा निर्देश को अपनायें और रेजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी करें।
- रेजिस्ट्रेशन नम्बर तथा पासवर्ड से लॉगइन करें और पद को चुनें।
- पूरी गयी सूचनाओं को भरें जैसे शैक्षणिक योग्यता आदि। अभ्यर्थी की शैक्षणिक योग्यता के आधार पर।
- परीक्षा शुल्क रु 500/- (यदि छूट के अन्तर्गत हों तो रु 250/-) ऑनलाइन के माध्यम (जैसे इन्टरनेट बैंकिंग/डेबिट/क्रेडिट कार्ड आदि) से जमा करें।
- अभ्यर्थी अपना हाल का बना हुआ रंगीन फोटो साइज 3.5 cm X 3.5 cm (श्याम/श्वेत फोटो मान्य नहीं होगा) JPEG फारमेट में 20 kb से 30 kb का स्कैन करके अपलोड करें।
- ऑनलाइन आवेदन भरते समय अपना हस्ताक्षर (अंग्रेजी तथा हिन्दी) JPEG फारमेट में 10 Kb से 15 kb का स्कैन करके अपलोड करें।
- वेबसाइट पर "UPLOAD" लिंक को क्लिक करें और रेजिस्ट्रेशन नम्बर तथा पासवर्ड से लॉगइन करने के उपरांत फाइल/स्कैन फाइल को अपलोड करें।
- 150 DPI तथा 150 kb से 300 kb तक, JPEG format में आयु प्रमाण पत्र अपलोड करें।
- 150 DPI तथा 150 kb से 300 kb तक, JPEG format में खेलकूद प्रमाण पत्र अपलोड करें।
- वह अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के उम्मीदवार जो निकटतम स्टेशन से ट्रायल के समय ट्रायल के

स्थान तक का नि:शुल्क द्वितीय श्रेणी के पास की सुविधा के लिए अपना जाति प्रमाण पत्र जो कि सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत हो 150 DPI तथा 100 kb से 200 kb तक, JPEG format में स्कैन कर अपलोड करें।

15. आवेदन Submit करें। अपने आवेदन की पावती प्रिंट कर लें।

16. अभ्यर्थी अपना आवेदन संशोधित करना चाहते हो तो अंतिम तारीख से पूर्व, Final Submit के तीन दिन बाद, जो पहले हो, अपना आवेदन संशोधित कर सकते हैं।

17. ऑनलाइन जमा किया हुआ आवेदन संशोधित करने के लिए वेबसाइट की "ONLINE FORM" लिंक पर क्लिक करें।

18. "Modify Application" लिंक पर क्लिक करें।

परिशिष्ट — क

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए प्रमाण—पत्र का प्रारूप

भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन करने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति द्वारा दिये जाने वाला प्रमाण—पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....पुत्र/पुत्री श्री.....निवासी ग्राम/कस्बा.....जिला/संभाग.....राज्य/संघ.....अनुसूचित जाति/जनजाति से सम्बन्धित है जो निम्नलिखित आदेश के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है।

संविधान (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति) आदेश 1950
संविधान (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति) (संघ क्षेत्र) आदेश 1951
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सूची (परिशोधन), 1956, मुम्बई रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1960, पंजाब रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1970 तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र (रिऑर्गेनाइजेशन) अधिनियम 1971 एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति आदेश (संशोधन) अधिनियम 1976 द्वारा यथा संशोधित।

संविधान (जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति आदेश 1956,
संविधान (अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश 1962,
संविधान (दादर एवं नागर हवेली) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति आदेश 1962
संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश 1964
संविधान (उत्तर प्रदेश) अनुसूचित जनजाति आदेश 1967
संविधान (गोवा,दमन एवं दीव) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति आदेश 1968
संविधान (नागालैंड) अनुसूचित जनजाति आदेश 1970
संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति आदेश 1978
संविधान (जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश 1989
संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1990
संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1991
संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1991
संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1996
संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002
संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2002
संविधान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002

2. यह उन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के मामले में लागू है जो एक राज्य/संघ क्षेत्र प्रशासन से प्रत्यावर्तित हुए हैं।

यह प्रमाण—पत्र श्री/श्रीमती/कुमारी.....के पिता/माता श्री/श्रीमती.....निवासी ग्राम/कस्बा.....जिला/संभाग.....प्रदेश/संघ क्षेत्र.....को जारी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण—पत्र के आधार पर जारी किया गया जो.....जाति/जनजाति से संबंधित है जो.....राज्य/संघ क्षेत्र में.....द्वारा जारी.....दिनांक.....द्वारा मान्यता प्राप्त अनुसूचित जाति/जनजाति के हैं।

3. श्री/श्रीमती/कुमारी और उनका परिवार सामान्यतः ग्राम/कस्बा.....जिला/संभाग.....राज्य/संघ क्षेत्र.....में रहता है।

राज्य/संघ क्षेत्र
स्थान:.....
दिनांक:.....

हस्ताक्षर.....
पदनाम.....
(कार्यालय की मोहर)

जो शब्द लागू न हों, उन्हें काट दें।
कृपया राष्ट्रपति का विनिर्दिष्ट आदेश उद्धृत करें।
जो अनुच्छेद लागू न हों, उसे काट दें।

टिप्पणी: यहाँ प्रयुक्त शब्द सामान्यतः रहते हैं का आशय वही है जो लोक अभ्यावेदन अधिनियम 1950 के खण्ड 20 का है। अनुसूचित जाति/जनजाति प्रमाण—पत्र जारी करने के लिए अधिकृत प्राधिकारियों की सूची:—

(1) डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट/एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/डिप्टी कमिश्नर/डिप्टी कलेक्टर/फर्ट क्लास स्टाइपेंडरी मजिस्ट्रेट/सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट/एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर/तालुक मजिस्ट्रेट/एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट।
(2) चीफ प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/एडिशनल चीफ प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट।
(3) राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार रैंक के नीचे न हो।
(4) क्षेत्र का सब-डिवीजनल आफीसर जहाँ अभ्यर्थी और/या उसका परिवार सामान्यतः रहता है।
(5) जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित राज्य सरकार या केन्द्रीय राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र
(6) प्रशासक/सचिव प्रशासक(लक्षदीप,मिनीकॉय और अमनदीव द्वीप)

परिशिष्ट — ख

भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अन्य पिछड़ी जातियों द्वारा दिये जाने वाले प्रमाण—पत्र का प्रारूप

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....पुत्र/पुत्री.....राज्य/संघ राज्य क्षेत्र.....जिला/मंडल.....ग्राम/शहर.....के निवासी हैं जो.....समुदाय के हैं जिसे भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं शक्तिकरण मंत्रालय के दिनांक.....के संकल्प संख्या.....के अंतर्गत पिछड़े वर्ग के रूप में मान्यता प्राप्त हैं।* श्री/श्रीमती/ कुमारी.....तथा उनका परिवार सामान्यतया.....राज्य/संघ राज्य क्षेत्र.....जिला/मंडल के निवासी हैं। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वे भारत सरकार, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 08/9/1993** के का.ज्ञा.सं. 36012/22/93-स्था.(एससीटी) की अनुसूची के कॉलम 3 में उल्लिखित व्यक्तियों/वर्गों (नवोन्नत वर्ग) कि श्रेणी से संबंधित नहीं है।**

दिनांक
जिलाधिकारी
उपायुक्त इत्यादि

मुहर

* - प्रमाण—पत्र जारी करने वाला प्राधिकारी को भारत सरकार के संकल्प में ब्यौरों का उल्लेख करना है जिसमें उम्मीदवार की जाति का अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में उल्लेख किया गया है।
** - समय—समय पर संशोधित।

टिप्पणी:— यहाँ प्रयुक्त 'साधारण निवासी' का अर्थ वही है जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में वर्णित है।

परिशिष्ट — ग

बोर्ड के पत्रांक सं0 ई(आरआरबी)/2009/25/21 दिनांक 28.10.2009 के पैरा—3 के अनुसार प्रधान पत्र पर जारी किये जाने वाले आय प्रमाण पत्र प्रारूप।

आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (जिनके परिवार की वार्षिक आय रु 50,000 से कम हो) के अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क के भुगतान से छूट का प्रारूप

- अभ्यर्थी का नाम.....
- पिता/पति का नाम.....
- आयु.....
- घर का पता.....
- परिवार की वार्षिक आय.....
- (शब्दों एवं अंकों में).....
- निर्गत तिथि.....
- हस्ताक्षर.....

(जारी करने वाले अधिकारी का नाम)
जारी करने वाले प्राधिकारी की मुहर
1003/17(K)